## Rule 13: Grant of registration to non-resident taxable person

(1) A non-resident taxable person shall electronically submit an application, along with a self-attested copy of his valid passport, for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in FORM GST REG-09, at least five days prior to the commencement of business at the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

**Provided** that in the case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or its Permanent Account Number, if available.

- (2) A person applying for registration as a non-resident taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making an advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) of rule 8 shall be issued electronically only after the said deposit in his electronic cash ledger.
- (3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.
- (4) The application for registration made by a non-resident taxable person shall be <sup>1</sup>[duly signed or verified through electronic verification code] by his authorized signatory who shall be a person resident in India having a valid Permanent Account Number.

www.cggst.com

<sup>1</sup> Substituted for "signed" by Noti. No. 07/2017–Central Tax, dt. 27-06-2017 w.e.f. 22-06-2017.

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

## नियम 13 : अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना

(1) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति, अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ रिजस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी—09 में कारबार के प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले प्रस्तुत करेगा:

परन्तु भारत से बाहर निगमित या स्थापित किसी कारबार अस्तिव की दशा में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसके कर पहचान संख्यांक या विशिष्ट संख्यांक, जिसके आधार पर अस्तिव की उस देश की सरकार द्वारा पहचान की जाती है या यदि उपलब्ध हैं तो उसके स्थायी लेखा संख्यांक सहित प्रस्तुत किया जाएगा।

- (2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति उसके इलेक्ट्रानिक नकद खाते में इलेक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी।
- (3) रिजस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सिहत इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे।
- (4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा <sup>1</sup>[सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित] किया जाएगा, जो विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक रखने वाला भारत में निवासी कोई व्यक्ति होगा।

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक 7 / 2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा ''हस्ताक्षरित'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।